Replied by Pandey Ji

संख्या 491 /मुख्य सचिव/ PS /20.22
दिनांक 17/1/20.22

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 465 /XXV-/55 /2021 देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2022

सेवामें,

ELECTION-URGENT

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **कोविड नियमों के अनुपालन में के तहत बैठक आयोजित करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री राजीव शर्मा, एडवोकेट, संयोजक चुनाव आयोग सम्पर्क विभाग, प्रदेश कार्यालय भाजपा उत्तराखण्ड, 39/29/3 बलबीर रोड़ देहरादून के पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2022 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि, *"भाजपा कुछ प्रमुख बैठकें आयोजित करना चाहती है जो कि एग बन्दउ कमरे के भीतर आयोजित होनी है। उक्त बैठकों में पार्टी के महत्वपूर्ण तथा गोपनीय निर्णय लिए जाने हैं। पार्टी द्वारा कोविड सम्बन्धी सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जायेगा। पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंन्सिंग तथा मॉस्क आदि का प्रयोग किया जायेगा साथ ही कमरे की पूर्ण क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रखी जायेगी।"*

2– भारतीय जनता पार्टी के उक्त संदर्भित पत्र को इस कार्यालय के पत्र संख्या–315 दिनांक 11 जनवरी 2022 (प्रति संलग्न) के माध्यम से आयोग के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–39/ECI/TERR/LETT8/UKD-LA/2022/NS-II दिनांक 14 जनवरी, 2022 (प्रति संलग्न) के माध्यम से कोविड प्रबंधन के मौजूदा निर्देशों के पालन के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है ।

3– आज दिनांक 15 जनवरी, 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वी.सी. (मु.नि.अ. की अपरान्ह 01:00–02:00 बजे) आयोग द्वारा पूछा गया कि 50 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बैठक की अनुमति प्रदान की गयी है, अधिकत्तम सीमा क्या है ? मेरे द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि इस गतिविधि से संबंधित आयोग का उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.01.2022 आज सुबह ही प्राप्त हुआ, इसको राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत कराया जाएगा और इसमें व्यक्तियों की अधिकत्तम संख्या के बारे में निर्देश/मार्गदर्शन प्राप्त किए जाऐंगें।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करना चाहें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया

(सौजन्य)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तरखण्ड।

प्रतिलिपि :– सचिव/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक–यथोक्त।

(सौजन्य)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

A.S. (DM)
687/AS-DM/2022

17/1/2022
(आर0 एस0 उनियाल)
वरिष्ठ निजी सचिव–मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

18/01/22
(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव

177

By Speed post/email

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No. 39/ECI/TERR/LETT/UKD-LA/2022/NS-II

Dated: -14th January 2022

To,

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun.

Subject – Conducting internal meetings under the COVID-19 Guidelines- Regarding

Madam,

I am directed to refer to your letter no. 315/XXV-69/2021 dated 11.01.2022 on the aforementioned subject and to convey no objection in light of facts made available, subject to adherence to the extant instructions of COVID management.

Yours faithfully,

Kuldeep Negi

(KULDEEP NEGI)
SECTION OFFICER

Scanned by TapScanner

176

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 315 /XXV- 69/2021 देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2022

सेवा में,

ELECTION URGENT

प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई दिल्ली।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन,2022–कोविड नियमों के अनुपालन के तहत बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री राजीव शर्मा, एडवोकेट, संयोजक चुनाव आयोग सम्पर्क विभाग प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक रहित की (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उनके द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भाजपा कुछ प्रमुख बैठकें आयोजित करना चाहती है जो कि एक बन्द कमरे के भीतर आयोजित होनी है। उक्त बैठकों में पार्टी के महत्वपूर्ण तथा गोपनीय निर्णय लिये जाने हैं। पार्टी द्वारा कोविड सम्बन्धी सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जायेगा। पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क आदि का प्रयोग किया जायेगा। साथ ही कमरे की पूर्ण क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रखी जायेगी। भारतीय जनता पार्टी को बन्द कमरे के अन्दर कोविड नियमों के अनुपालन के तहत बैठक आयोजित करने की आज्ञा प्रदान करने का अनुरोध किये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतः उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त सम्बन्ध में नियमानुसार आयोग की आज्ञा से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीया,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

<u>पृ0सं0–315 /XXV- 69/2021 तददिनांकित।</u>

प्रतिलिपि श्री राजीव शर्मा, एडवोकेट, संयोजक चुनाव आयोग सम्पर्क विभाग प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड

39/29/3 बलवीर रोड, देहरादून –248001

E-mail : bjputtarakhandd@gmail.com फोन नं. 0135–2669578, फैक्स 0135 . 2669587 व्हाट्स ऐप् नं. 9389922711

सेवामें,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तराखंड।

विशय : कोविड नियमों के अनुपालन के तहत बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि भाजपा कुछ प्रमुख बैठकें आयोजित करना चाहती है जो कि एक बन्द कमरे के भीतर आयोजित होनी है। उक्त बैठकों में पार्टी के महत्वपूर्ण तथा गोपनीय निर्णय लिये जाने हैं। पार्टी द्वारा कोविड सम्बन्धी सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जायेगा। पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क आदि का प्रयोग किया जायेगा। साथ ही कमरे की पूर्ण क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रखी जायेगी।

अतः आपसे प्रार्थना है कि भाजपा पार्टी को बन्द कमरे के अन्दर कोविड नियमों के अनुपालन के तहत बैठक आयोजित करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

S.O(R)

11/1/22
ACEO

भवदीय

राजीव शर्मा, एडवोकेट
संयोजक
चुनाव आयोग सम्पर्क विभाग
प्रदेश कार्यालय भाजपा, उत्तराखंड
मो0 न0 :– 999742400८